राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

खालिद अरशद, बि०प्र०से०
प्रशासी पदाधिकारी

पत्रांक: SHSB/PM/161/2007/9621

सेवा में,

सहायक औषधि नियंत्रक
पटना, गया, मुजफ्फरपुर, सारण, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया एवं औरंगाबाद

पटना, दिनांक:- 25.3.2020

विषय: COVID-19 **के समुचित प्रबंधन हेतु चिकित्सकीय सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के संबंध में।**

प्रसंग: राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार का पत्रांक 9284 दिनांक 15.03.2020 एवं राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार का पत्रांक 371 (15) दिनांक 23.03.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि COVID 19 के संक्रमण को रोकने हेतु सरकार के स्तर से विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं। COVID 19 के चिकित्सकीय प्रबंधन में उपयोगी औषधियों एवं Medical Devices/Consumable की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु प्रासंगिक पत्रों द्वारा निदेश दिया गया है। इसी क्रम में इससे संबंधित N-95 Mask, Personal Protective Equipment (PPE) Kit, Viral Transport Medium (VTM), Infrared Thermometer की जिलों के स्वास्थ्य संस्थानों एवं राज्यस्तर पर ज्यादा मात्रा में आवश्यकता है। इन सामग्रियों का दर अनुबंध BMSICL के स्तर से अभी नही हो पाया है और खुले बाजार से आपूर्ति/उपलब्धता प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है।

2. अत: आपात एवं आकस्मिकता की स्थिति में अनुरोध है कि उपर्युक्त सामग्रियों की जिला एवं राज्यस्तर पर आपूर्ति/उपलब्धता कराने में स्वयं के स्तर से समुचित कार्रवाई किया जाए। इस कार्य में बिहार केमिस्ट एडं ड्रगिस्ट एशोसिएशन की राज्य एवं जिला इकाई से भी सहयोग प्राप्त किया जाए। वस्तुस्थिति से अद्योहस्ताक्षरी (मो०- 8544402232) एवं श्री मनीष रंजन, सहायक निदेशक, औषधि (मो०- 9473197721) को अवगत कराया जाय।

विश्वासभाजन

25/3/2020

(खालिद अरशद)

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

खालिद अरशद, बि०प्र०से०
प्रशासी पदाधिकारी

पत्रांक: SHSB/PM/161/2007/...............

सेवा में,

सहायक औषधि नियंत्रक
पटना, गया, मुजफ्फरपुर, सारण, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया एवं औरंगाबाद

पटना, दिनांक:-..................

विषय: COVID-19 **के समुचित प्रबंधन हेतु चिकित्सकीय सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के संबंध में।**

प्रसंग: राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार का पत्रांक 9284 दिनांक 15.03.2020 एवं राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार का पत्रांक 371 (15) दिनांक 23.03.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि COVID 19 के संक्रमण को रोकने हेतु सरकार के स्तर से विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं। COVID 19 के चिकित्सकीय प्रबंधन में उपयोगी औषधियों एवं Medical Devices/Consumable की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु प्रासंगिक पत्रों द्वारा निदेश दिया गया है। इसी क्रम में इससे संबंधित N-95 Mask, Personal Protective Equipment (PPE) Kit, Viral Transport Medium (VTM), Infrared Thermometer की जिलों के स्वास्थ्य संस्थानों एवं राज्यस्तर पर ज्यादा मात्रा में आवश्यकता है। इन सामग्रियों का दर अनुबंध BMSICL के स्तर से अभी नही हो पाया है और खुले बाजार से आपूर्ति/उपलब्धता प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है।

2. अतः आपात एवं आकस्मिमता की स्थिति में अनुरोध है कि उपर्युक्त सामग्रियों की जिला एवं राज्यस्तर पर आपूर्ति/उपलब्धता कराने में स्वयं के स्तर से समुचित कार्रवाई किया जाए। इस कार्य में बिहार केमिस्ट एडं ड्रगिस्ट एशोसिएशन की राज्य एवं जिला इकाई से भी सहयोग प्राप्त किया जाए। वस्तुस्थिति से अद्योहस्ताक्षरी (मो०- 8544402232) एवं श्री मनीष रंजन, सहायक निदेशक, औषधि (मो०- 9473197721) को अवगत कराया जाय।

विश्वासभाजन
ह0/-
(खालिद अरशद)

ज्ञापांक 9621 पटना, दिनांक 25.3.2020

प्रतिलिपि:

- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
- कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रबंध निदेशक, BMSICL, पटना को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- अध्यक्ष/सचिव, बिहार केमिस्ट एडं ड्रगिस्ट एशोसिएशन को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि इस विषम स्थिति में अपने स्तर से समुचित सहयोग किया जाए।

25/3/2020

प्रशासी पदाधिकारी

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना– 800 014,
दूरभाष: 0612–2290328, फैक्स: 0612–2290322, वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org

स्वस्थ बिहार समृद्ध बिहार

निदेशालय औषधि नियंत्रण प्रशासन,
स्वास्थ्य विभाग,
बिहार, पटना।

संचिका संख्या– 15 / औ0–31–18 / 2020 371(15) / स्वा0

प्रेषक,

राज्य औषधि नियंत्रक,
बिहार, पटना।

सेवा मे,

सभी सहायक औषधि नियंत्रक, बिहार।
सभी औषधि निरीक्षक, बिहार।

पटना, दिनांक– 23/3/2020

विषयः– **Covid 19/कोरोना वायरस से जनित रोग के समुचित प्रबंध हेतु आवश्यक औषधियों की उपलब्धता के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय से सबधित SHSB के पत्रांक 9284 दिनांक– 15.03.2020 की छायाप्रति संलग्न करते हुए निदश दिया जाता है कि कोरोना वायरस से उत्पन्न आपात स्थिति के मद्देनजर आवश्यक औषधियों का भण्डारण सुनिश्चित किया जाए एवं अपने जिले के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के अधीक्षक एवं सिविल सर्जन से Close Co-ordination बनाये रखे जाय ताकि कोरोना वायरस से उत्पन्न संक्रमण को रोका जा सके। कृत कार्रवाई से संबधित सूचना राज्य स्वास्थ्य समिति को भेजते हुये इसकी प्रति निदेशालय को भी भेजी जाय।

कृपया इसे शीर्ष प्राथमिकता दिया जाय।

अनुलग्नक– यथोक्त।

विश्वासभाजन
23/03/2020
राज्य औषधि नियंत्रक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 371(15) पटना, दिनांक– 23/3/2020

प्रतिलिपि– श्री मनोज कुमार, भा0प्र0से0, कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– सभी सिविल सर्जन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/03/2020
राज्य औषधि नियंत्रक,
बिहार, पटना।

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

मनोज कुमार, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

पत्रांक: SHSB/PM/161/2007/...9284

अतिआवश्यक

सेवा में,

राज्य औषधि नियंत्रक,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक....15/03/2020

विषय: COVID 19/कोरोना वायरस से जनित रोग के समुचित प्रबंधन हेतु EDL में निहित आवश्यक औषधियों की उपलब्धता के संबंध में।

प्रसंग: राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार का पत्रांक 8813 दिनांक 28.02.2020 एवं पत्रांक 9279 दिनांक 14.03.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि चीन में कोरोना वायरस से उत्पन्न रोग विश्वस्तर पर संक्रमित होता जा रहा है तथा भारत में भी 80 से ज्यादा रोगियों की पुष्टि हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इसे महामारी घोषित कर दिया है एवं सभी राष्ट्र युद्ध स्तर पर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की तैयारी कर रहे है। देश में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के स्तर पर पूरी शक्ति के साथ इस संक्रमण को रोकने के प्रयास हो रहे है। इस कार्यालय उक्त प्रासंगिक पत्रों द्वारा कोरोना वायरस से उत्पन्न आपात स्थिति के मद्देनजर आवश्यक औषधियों का भंडारण सुनिश्चित कराने का निदेश प्रबंध निदेशक, BMSICL एवं सभी सिविल सर्जन तथा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल को दिया गया है।

2. उपर्युक्त के संदर्भ में यह अत्याआवश्यक है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रबंधन में उपयोगी औषधियों एवं Medical Devices/Consumables की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता BMSICL एवं चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल तथा सिविल सर्जन कार्यालय में बनाये रखने हेतु औषधि नियंत्रण प्रशासन का सहयोग अपेक्षित है:-

Sl. No.	Name of Drugs	Dosage form
1	Paracetamol	Tab/Syrup
2	Azithromycin	Tab
3	Adrenaline	Inj
4	Noradrenaline	Inj
5	Cefoperazone	Inj
6	Meropenem	Inj
7	Amikacin	Inj
8	Normal Saline	Infusion
9	Compound Sodium Lactate	Infusion
10	Levo Salbutamol	Nebulizer Solution

Sl. No.	Name of Surgical Item/Consumables
1	Examination Gloves
2	Mask (N-95/ Three Layer)
3	Apron
4	Gown

स्वस्थ बिहार समृद्ध बिहार

Scanned with CamScanner

Sl. No.	Name of Surgical Item/Consumables
5	Disposable Cap
6	Nasal Prongs with Cathether
7	Universal Protection Kit
8	Endotracheal Tube

3. विदित हो कि भारत के राजपत्र सं० 980 दिनांक 13.03.2020 द्वारा कोविड 19 प्रबंधन के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कतिपय सामग्रियों यथा- मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन95 मास्क) और हैंड सैनिटाइजर के उत्पादन, गुणवत्ता, वितरण, लॉजिस्टिक्स को विनियमित किया गया है।

4. उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि कंडिका 2 के सारणी में अंकित औषधियों एवं Medical Devices/Consumables की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता BMSICL एवं चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल तथा सिविल सर्जन कार्यालय में बनाये रखने हेतु स्वयं के स्तर से समुचित पहल किया जाए। साथ हीं, जिलों में पदस्थापित सहायक औषधि नियंत्रक एवं सभी औषधि निरीक्षक को निदेश दिया जाए कि चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के अधीक्षक एवं जिलों के सिविल सर्जन से नियमित रूप से close coordination स्थापित कर उपर्युक्त औषधियों एवं Medical Devices/Consumables की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाए। यथा आवश्यक आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में निरोधात्मक कार्रवाई हेतु संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी एवं अनुमंडल दंडाधिकारी से सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

विश्वासभाजन

(मनोज कुमार)

ज्ञापांक.....9284.....   पटना, दिनांक.....15/03/2020

प्रतिलिपि :

- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
- सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि स्वयं के स्तर से पहल करते हुये अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।
- प्रबंध निदेशक, BMSICL को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/सिविल सर्जन/अनुमंडल दंडाधिकारी/सभी सहायक औषधि नियंत्रक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक निदेशक

Scanned with CamScanner